



राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2024/2044

दिनांक: 14/11/2024

प्रेषित:-

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़।  
भीलवाड़ा

विषय:- पत्रावली प्रकरण संख्या 237/24 को स्थानान्तरित करने बाबत।

प्रसंग:- आपके न्यायालय क्रमांक/राजस्व/2024/782 दिनांक 04.04.24 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके न्यायालय से पत्रावली भूरा बनाम लादु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टि.एक्ट. प्राप्त हुई थी। पत्रावली पटवार हल्का श्यामपुरा के गाँव भोपालगढ़ से होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से बाहर है।

अतः मूल पत्रावली माण्डलगढ़ स्थानान्तरित की जाती है।

संलग्न:- मूल पत्रावली किता- 30



( अजीत सिंह राठौड़ )  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

18/8/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली  
दिनांक 25/9/24 को वास्ते

पत्रावली पेश हो।  
उप खण्ड अधिकारी

25-9-24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली  
दिनांक 25/9/24 को वास्ते

पत्रावली पेश हो।  
उप खण्ड अधिकारी

6/11/24

पत्रावली पेश करी पत्रावली न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ श्रे प्राप्त  
26/6/24 को करी है। पत्रावली प.ड. श्यामपुरा  
होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया के क्षेत्राधिकारी में नहीं  
होने के कारण युग: लौराई (स्वामन्वर्ति)  
की करी है।

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया/जिला-भीलवाड़ा